

कार्यालय अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655

ई-मेल : deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं. : 07662-251167

वेबसाइट : www.ssmcrewa.com

क्रमांक/ 8752 /पैरामेडि./एम.सी./2023

रीवा, दिनांक : 17/4/23

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश विज्ञापन सह-नियमावली

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के आदेश क्र./F-56(1)/कालेज/A22G0167/869/2023 भोपाल, दिनांक 10.04.2023 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP Online के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:-

आवेदन प्रारंभ की तिथि	20 अप्रैल, 2023
आवेदन की अंतिम तिथि	30 अप्रैल, 2023
आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि	29 एवं 30 अप्रैल, 2023
स्कूटनी/काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	05 मई, 2023 से प्रारम्भ
काउंसिलिंग स्थल	डी.एन.एस.चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
आवेदन शुल्क	अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रु. 500/- तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के अभ्यर्थी को रु 300/- (MP Online Portal Charge अतिरिक्त देय होगा)

II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण:-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1.	MASTER OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	POST GRADUTE DEGREE	05
2.	BACHELOR OF MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	30
3.	BACHELOR OF X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DEGREE	05
4.	DIPLOMA IN ANAESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	20
5.	DIPLOMA MICROBIOLOGY	DIPLOMA	20
6.	DIPLOMA PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSITANT	DIPLOMA	15
7.	DIPLOMA CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	15
8.	DIPLOMA DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	15
9.	DIPLOMA X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	20
10.	CERTIFICATE CTMRI TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
11.	CERTIFICATE ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
12.	CERTIFICATE E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
13.	CERTIFICATE OF RESPIRATORY TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

नोट :- आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं निर्देश चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com एवं Mponline की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Handwritten Signature

अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का संवर्गवार वितरण निम्नानुसार है :-

Shyam Shah Medical College, Rewa (M.P.)

Paramedical Counseling (Academic Year 2022-23)

S. No.	Course	Total seats	In-service (10%)						Open Quota (90%)						PwD (5%) seat of total seats
			UR (40%)	ST (20%)	SC (16%)	OBC (14%)	EWS (10%)	Total	UR (40%)	ST (20%)	SC (16%)	OBC (14%)	EWS (10%)	Total	
1	Medical Laboratory Technology (Histopathology)	5	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	5	0
2	Bachelor Medical Lab Technician	30	2	1	0	0	0	3	11 (3F)	5 (1F)	4 (1F)	4 (1F)	3 (1F)	27	1
3	Bachelor of X-Ray Radiographer Technician	5	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	5	0
4	Diploma in Anesthesia Technician	20	1	1	0	0	0	2	7 (2F)	3 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2	18	1
5	Diploma in Microbiology	20	1	1	0	0	0	2	7 (2F)	3 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2	18	1
6	Diploma in Paramedical Ophthalmic Assistant	15	1	0	0	0	0	1	6 (2F)	3 (1F)	2	2	1	14	0
7	Diploma X-Ray Radiographer Technician	20	1	1	0	0	0	2	7 (2F)	3 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2	18	1
8	Diploma Cath Lab Technician	15	1	0	0	0	0	1	6 (2F)	3 (1F)	2	2	1	14	0
9	Diploma Dialysis Technician	15	1	0	0	0	0	1	6 (2F)	3 (1F)	2	2	1	14	0
10	Certificate C.T. / M.R.I. Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2	1	1	1	9	0
11	Certificate Ortho. Technician	20	1	1	0	0	0	2	7 (2F)	3 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2	18	1
12	Certificate E.C.G. Technician	20	1	1	0	0	0	2	7 (2F)	3 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2	18	1
13	Certificate Respiratory Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2	1	1	1	9	0
		205													

Note:- Seats indicated in PwD quota is included in all category of concerned course. Candidate Selected in PwD quota will be considered for that category and accordingly the seat will be deducted from that category.

- इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।
- सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
- प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी।
- दिव्यांग प्रवर्ग-ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 3% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।
- शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

III. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण:-

पाठ्यक्रम	शैक्षणिक शुल्क (सत्र 2022-23 हेतु)	रिमार्क
POST GRADUTE DEGREE	रु. 1,38,060 (रु. 1,33,060/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शैक्षणिक शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।
DEGREE	रु. 79,520 (रु. 74,520/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
DIPLOMA	रु. 52,910 (रु. 47,910/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
CERTIFICATE	रु. 39,604 (रु. 34,604/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	

(Handwritten Signature)

IV. शैक्षणिक योग्यता:-

- (a) **For admission in Master of Medical Laboratory Technology** - candidate should have passed full time regular Bachelor's in Medical Lab Technician (BMLT) from any recognized university with minimum 50% aggregate in case of SC/ST/OBC students the relaxation of the eligibility percentage for the admission will be as per Madhya Pradesh state government rules.
- (b) **For admission in Other Degree/Diploma/Certificate Course (Except MMLT)**- The candidate must have passed 10+2 with at least 40% marks in aggregate of Physics, Chemistry and Biology (PCB) for Degree/Diploma/Certificate Courses. In case of SC/ST/OBC candidates, 5% marks relaxation will be given for the admission in above said courses.

V. अन्य नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन शुल्क:-

विवरण	आवेदन शुल्क
अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु	रु. 500/- (MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के आवेदकों हेतु	रु. 300/- (MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु	MP online द्वारा निर्धारित पोर्टल चार्ज


2. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से MP online के द्वारा किये गये आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।
3. समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन मान्य किया जावेगा, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक नियम एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें तथा आवेदन में दी गई जानकारी सही हो जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। स्कूटनी/काउंसिलिंग के दौरान यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा पुनः उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की मैरिट सूची MP online के द्वारा तैयार की जावेगी। संस्थान में प्रवेश एवं पाठ्यक्रमों में सीट का आवंटन इसी मैरिट सूची के आधार पर किया जावेगा। मैरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
- Post Graduate पाठ्यक्रमों (MMLT) में प्रवेश हेतु मैरिट का निर्धारण (BMLT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।
 - अन्य डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मैरिट का निर्धारण हायर सेकेण्ड्री (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।
6. मैरिट सूची में अंक समान होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जावेगी :-
- (क) म.प्र. के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ख) उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
- (ग) यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
7. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट आवंटित होने के पूर्व आवेदकों को मैरिट के आधार पर स्कूटनी/डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिये आमंत्रित किया जावेगा। जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com पर प्रदर्शित की जावेगी। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत ही आवेदक काउंसिलिंग के लिए पात्र होंगे।

8. काउंसिलिंग की तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com पर प्रदर्शित की जावेगी। अतः समस्त आवेदक नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
9. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2022 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
10. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को स्कूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक को स्कूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त म.प्र. का मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को स्कूटनी/काउंसिलिंग के दौरान स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवर्जन(माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवेदक को काउंसिलिंग के समय उपस्थित होने के लिये रु. 5000/- (पाँच हजार) जमा करना अनिवार्य होगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 07 दिवस के अंदर जमा करनी होगी, ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रु. 5000/- (पाँच हजार) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी।
16. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान छात्र को किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन तथा नियमित नौकरी (सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर) करने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को इस आशय का शपथ-पत्र रु. 100/- के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेगी। विभागीय कर्मचारियों के मेरिट का निर्धारण सेवा अवधि की गणना के आधार पर किया जावेगा।
18. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
19. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी:-


1. विभागीय कर्मचारी
2. एस.टी. श्रेणी
3. एस.सी. श्रेणी
4. ओ.बी.सी. श्रेणी

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

- (a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।



20. जिस पाठ्यक्रम में 03 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।
21. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
22. शिक्षण शुल्क जमा होने के बाद किसी भी स्थिति में वापस देय नहीं होगा।
23. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा (म.प्र.) होगा।
24. प्रवेश के समय स्थानांतरण एवं माईग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रु. 5000/- (पांच हजार) मात्र वापस नहीं की जावेगी।
25. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, सम्बद्धता शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित बीमा शुल्क पृथक से देय होगा।
26. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग (ओ.बी.सी. एवं ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों को अपने अभिभावकों के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।
27. स्क्रूटनी/डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 02 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर स्क्रूटनी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी।
 - (a) 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
 - (b) 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)
 - (c) स्नातक (बीएमएलटी) की अंकसूची (एमएमएलटी) हेतु।
 - (d) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - (e) माईग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - (f) जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
 - (g) अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र
 - (h) ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (i) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (j) 02 पासपोर्ट साइज फोटो।
 - (k) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।



अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)